न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 2335–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.6.12 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 3/अपील/2006–07.

मेसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
मुख्य कार्यालय,
301 '' महाकोष हाउस ''
7.5, साउथ तुकोगंज, इंदौर ----- अपीलांट

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा
उप पंजीयक, देवास

2– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं
जिला पंजीयक, देवास

3– मे. ग्लायकेम इण्डस्ट्रीज लिमि.
(Now known as-Anik Industries Ltd.)
पंजीकृत कार्यालय
610, तुलसैनी चैंबर, नैजीमन प्वाइंट,
मुंबई
----- रिस्पोंडेंट्स

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री वैभव जैन ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1–6-2015 को पारित)

यह अपील आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 3/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 11–6–12 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 47–ए(5) के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 26–3–15 को अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के आदेश दिए गए थे किंतु उनके ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ अपीलांट की ओर से अपील मेमो में दिए गए आधारों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है विद्वान आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 7422/2007 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2009 में की गई विवेचना के आधार पर आदेश पारित किया है । विद्वान आयुक्त द्वारा ए.आई. आर. 1983 एम.पी. 172 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर प्रथम अपील के स्तर पर दस्तावेज को वापिस न करने संबंधी जो निष्कर्ष निकाला गया है वह विधिसम्मत है । प्रकरण में जो साक्ष्य है उससे यह प्रमाणित है कि अपीलांट ने बिक्री पत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र संबंधी तथ्य को छिपाया है जो स्टाम्प एक्ट की धारा 27 का उल्लंघन है । अतः इस प्रकरण में आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकर करने के जो निर्देश कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को दिए हैं, उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर